प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़

रिट याचिका क्रमांक 5975/1998

कोरम: माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति

याचिकाकर्ता – आर.ए.देशपांडे, पिता स्व. श्री ए.आर. देशपांडे,

उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी श्यामनगर,
रायपुर (मध्य प्रदेश).

विरुद्ध

उत्तरदातागण 1. मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल

2. संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.)

3. म.प्र.राज्य प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर, द्वारा इसके रजिस्ट्रार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्रीमती रेणु कोचर।

राज्य की ओर से श्री प्रशांत मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता सहित श्री उत्कर्ष वर्मा, उप –शासकीय अधिवक्ता .

मौखिक आदेश

(26 जून 2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश एस.आर.नायक, मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया।

1. यह रिट याचिका म.प्र. प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.1998 के द्वारा स्थानांतरित आवेदन क्रमांक 2966/88 के विरुद्ध है। उक्त आदेश द्वारा अधिकरण ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया है तथा राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (संक्षेप में "नियम") के नियम 42 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के दिनांक 08.10.1984 के आदेश की पुष्टि की है।

2. याचिकाकर्ता को दिनांक 27.04.1953 को आदिवासी कल्याण विभाग में सर्किल आर्गेनाइजर के पद पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 1968 में याचिकाकर्ता को एरिया आर्गेनाइजर के पद पर पदोन्नत किया गया। सेवाकाल के दौरान याचिकाकर्ता ने विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण किया। शासन ने दिनांक 08.06.1984 को एक आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को दिनांक 04.04.1976 से दक्षता अवरोध पार करने की अनुमति दी गई। जब मामला इस प्रकार था, तब सरकार ने नियम के नियम 42 के तहत दिनांक 08.10.1984 को आक्षेपित आदेश पारित किया।

3. याचिकाकर्ता ने सरकार के दिनांक 08.10.1984 के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर विविध याचिका संख्या 3544/84 संस्थित की। उक्त याचिका में कई आधारों पर बल दिया गया, जैसे कि नियम 42 के अंतर्गत याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की शासन की कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है और यह अंतरस्थ हेतु किया गया है; राज्य सरकार के दिनांक 18.01.1983 के परिपत्र के अनुसार, सरकार को सेवानिवृत्ति की तिथि से तुरंत पहले के 5 वर्षों की ए.सी.आर. को ध्यान में रखना चाहिए था, जबकि उसने वर्ष 1974–75 से 1978–79 के ए.सी.आर. को ध्यान में रखा; कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं थी; यह कि शासन की आक्षेपित कार्यवाही लोक हित में नहीं थी; जो कि उक्त आक्षेपित कार्यवाही मनमानी, अयुक्तियुक्त आदि है; यह कि आक्षेपित आदेश दूषित है, क्योंकि आदेश पारित करते समय शासन ने प्राकृतिक न्याय आदि के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों पर विचार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. सरकार ने जवाब प्रस्तुत करते हुए आक्षेपित कार्यवाही का समर्थन किया। न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता की तर्कों में कोई बल न पाते हुए, अपने दिनांक 01.09.1998 के आदेश द्वारा याचिका खारिज कर दी।

5. हमने याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रेणु कोचर और राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा तथा उप शासकीय अधिवक्ता श्री उत्कर्ष वर्मा को सुना है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश एक से अधिक कारणों से संधारणीय नहीं रह सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि सरकार ने स्वयं 08.06.1984 को, यह संतुष्ट होने के बाद कि याचिकाकर्ता के पास लोक सेवा में निरंतरता के लिए उपयोगिता और योग्यता बनी हुई है,

याचिकाकर्ता को दक्षता अवरोध पार करने की अनुमति दी और कुछ अज्ञात कारणों से थोड़े समय के भीतर 4 महीने की अवधि के बाद, उन्हें नियमों के नियम 42 का सहारा लेकर मनमाने ढंग से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया, और इसलिए, इस कार्यवाही की निंदा की जानी चाहिए क्योंकि यह मनमाना, अयुक्तियुक्त और अनुच्छेद 14 की मान्यताओं का उल्लंघन है। यह भी तर्क दिया गया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18.01.1983 के अनुसार, छानबीन समिति को आदेश की तारीख से ठीक पहले पांच वर्षों के लिए याचिकाकर्ता के ए.सी.आर. को ध्यान में रखना चाहिए था, जबकि, निःसंदेह, वर्ष 1974–75 से 1978–79 के ए.सी.आर. को ध्यान में रखा गया था और उस आधार पर भी, आक्षेपित आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता था। आगे यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की वर्ष 1979–80, 1981–82, 1982–83 और 1983–84 की वार्षिक रिपोर्ट याचिकाकर्ता के लिए काफी अनुकूल है, जबकि छानबीन समिति ने उन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया। यह भी कहा गया कि वर्ष 1982–83 की वार्षिक रिपोर्ट भी याचिकाकर्ता के लिए काफी अनुकूल है, क्योंकि रिपोर्टिंग अधिकारी ने दिनांक 05.06.1984 को कहा था कि याचिकाकर्ता एक बहुत अच्छा अधिकारी है और उसके अधीनस्थों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध हैं और उसे "बहुत अच्छा" बताया था और रिपोर्टिंग अधिकारी की राय से समीक्षा अधिकारी सहमत थे, इस आधार पर इस पर विचार नहीं किया गया कि छानबीन समिति को यह दिखाने के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था कि रिपोर्टिंग अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की उपरोक्त राय को स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. श्री प्रशांत मिश्रा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, इसके विपरीत, यह तर्क प्रस्तुत किया कि नियमों के नियम 42 के तहत किसी अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर विचार करते समय छानबीन समिति को संबंधित अधिकारी के संपूर्ण सेवा अभिलेख को ध्यान में रखने का अधिकार है, और इसलिए, याचिकाकर्ता के वर्ष 1974–75 और 1978–79 के ए.सी.आर. को ध्यान में रखने में छानबीन समिति की ओर से कुछ भी गलत नहीं था, जो याचिकाकर्ता के प्रतिकूल थे। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहा कि किसी अधिकारी के पदोन्नति के लिए या उसे दक्षता अवरोध पार करने की अनुमति पर विचार करते

समय निर्णय लेने में जो विचार किए जाते हैं वह नियम के नियम 42 के तहत निर्णय लेने से संबद्ध नहीं हैं, और इसलिए, छानबीन समिति ने याचिकाकर्ता के पूरे सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, नियम के नियम 42 के तहत याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना उचित समझा। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने न्यायाधिकरण के आदेश के पैरा 17 में न्यायाधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया।

7. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, निर्णय के लिए एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि क्या याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के दिनांक 08.10.1984 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार बनाया है। याचिकाकर्ता को नियम के नियम 42 के उप–नियम (1) के खंड–ख के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था, जो इस प्रकार है:

> **"42. 20/25 वर्ष की अर्हता सेवा के पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति :[**(1) (क) सरकारी सेवक 20 वर्ष की आर्हता सेवा पूर्ण करने के पश्चात् किसी भी समय, नियुक्ति प्राधिकारी को प्रारूप 28 में उस तारीख से, जिसको कि वह सेवानिवृत्त होना चाहता है, कम से कम तीन मास की पूर्व सूचना (नोटिस) देकर या उसके द्वारा तीन मास की कालावधि के लिये या उस कालावधि के लिए, जिसके लिए उसके द्वारा वास्तविक रूप से दी गई सूचना से तीन मास से कम होती हो, वेतन तथा भत्तों का उसके द्वारा भुगतान करने पर सेवानिवृत्त हो सकेगाः
>
> परन्तु यह और कि ऐसा सरकारी सेवक, नियुक्ति प्राधिकारी के, लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना, निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन, सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.–
>
> (एक) जहां सरकारी सेवक निलंबन के अधीन हों;
>
> (दो) जहां सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई संस्थित करना नियुक्ति प्राधिकारी के विचाराधीन होः
>
> (ख) नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सरकार के अनुमोदन से, लोकहित में किसी सरकारी सेवक को, उसकी 25 वर्ष की अर्हता सेवा पूर्ण करने के पश्चात् या उसके द्वारा 50 वर्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की आयु प्राप्त करने के पश्चात् इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय, प्रारूप 29 तीन मास का सूचना उसे देकर सेवानिवृत्त कर सकेगाः

परन्तु ऐसे सरकारी सेवक को तत्काल सेवानिवृत्त किया जा सकेगा और सेवानिवृत्ति पर सरकारी सेवक, ऐसी राशि का, जो उसके वेतन तथा भत्तों को रकम के बराबर हो, यथास्थिति, सूचना की कालावधि के लिए उसी दर पर, जिस पर वह, सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व आहरित कर रहा था या उस कालावधि के लिए, जिस तक ऐसी सूचना (नोटिस) तीन मास से कम होती हो, दावा करने का हकदार होगा।

(2) किसी सरकारी सेवक को, जिसने उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन सेवानिवृत्त होने का चयन किया हो तथा नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय की आवश्यक सूचना दी हो, तदन्तर उसके द्वारा दी गई सूचना वापस लेने के मामले की परिस्थितियों पर विचार कर, ऐसे प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन से अपना चयन वापस लेने हेतु प्रवारित किया जाएगाः

परन्तु वापसी का निवेदन, उसकी सेवानिवृत्ति की आशयित तारीख से पूर्व होगा।

(3) जहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति की सूचना दे दी गई है, वह सूचना वापस ली जा सकेगी, यदि पर्याप्त कारणों से ऐसा वांछित हो, इस शर्त के साथ कि संबंधित सरकारी सेवक इससे सहमत हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दो पर्याप्त शर्तें हैं, जिन्हें राज्य सरकार को नियम के नियम 42 के उप–नियम (1) के खंड–ख के अनुसार किसी सरकारी सेवक को सेवा से सेवानिवृत्त करने की आवश्यकता होने से पहले पूरा करना होगा और वे हैं; (i) कि संबंधित सरकारी सेवक ने 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, और (ii) कि नियुक्ति प्राधिकारी को यह संतुष्टि दर्ज करनी होगी कि ऐसे सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति लोकहित में आवश्यक है।' यह सच है कि नियम 42 के खंड–ख के अंतर्गत किसी सरकारी सेवक को सेवा से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में राय बनाते समय सरकार मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों तथा अधिकारी के संपूर्ण सेवा अभिलेख को ध्यान में रख सकती है। साथ ही, नियुक्ति प्राधिकारी को किसी सरकारी सेवक को सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्त करने की समीचीनता और व्यवहार्यता पर केवल लोकहित में

विचार करना होगा, किसी अन्य आधार पर नहीं। यह सामान्य बात है कि नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित के मामले पर विचार करते समय आवश्यक रूप से सरकारी सेवक की सत्यनिष्ठा के अलावा उसकी निरंतर उपयोगिता और दक्षता को भी ध्यान में रखेगा। यदि हम ऐसा कहें तो, यह नियुक्ति प्राधिकारी के लिए विचारणीय मूल विचार होगा, जब वह यह निर्णय लेगा कि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति लोकहित में है या नहीं।

यदि लोकहित का निर्णय करते समय निरंतर उपयोगिता और दक्षता एक महत्वपूर्ण विचार है, तो यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता को नियम 42 के खंड–ख के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने के ठीक 4 महीने पहले, उसके पास लोक सेवा में बने रहने के लिए निरंतर उपयोगिता और दक्षता पाई गई थी और इसीलिए दिनांक 08.06.1984 के आदेश (अनुलग्नक पी–3) द्वारा उसे दक्षता अवरोध पार करने की अनुमति दी गई थी। तर्क के दौरान, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने हमारे ध्यान में कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं लाई, जिसके आधार पर हम खुद को संतुष्ट कर सकें कि दिनांक 08.06.1984 से 08.10.1984 के बीच के अंतराल के दौरान, याचिकाकर्ता ने लोक सेवा में बने रहने के लिए निरंतर उपयोगिता और दक्षता खो दी थी। प्रत्येक सार्वजनिक शक्ति सीमित होती है और उसका प्रयोग निष्पक्ष, उचित और संविधान के अनुच्छेद 14 के आदेशों का सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए। यह सच है कि किसी सक्षम प्रावधान के तहत किसी सरकारी कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने की राज्य की शक्ति के प्रकरण में न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा बहुत परिसीमित और सीमित है, लेकिन, उस शक्ति का प्रयोग उचित और निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए, न कि किसी बाहरी विचार या किसी सरकारी कर्मचारी की निरंतर उपयोगिता और दक्षता के बारे में काल्पनिक और मनमानी धारणाओं पर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सक्षम प्रावधान के तहत किसी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की राज्य सरकार की शक्ति के मापदंडों पर विचार करने के बाद, **बैकुंठ नाथ दास और अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा और अन्य**[1] के प्रकरण में निर्णय के पैरा 32 में विधि का सारांश दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1]. AIR 1992 SC 1020

"32. उपर्युक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांत उभर कर आते हैं:

(i) अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई दंड नहीं है। इसमें किसी तरह का कलंक या दुर्व्यवहार का संकेत नहीं है।

(ii) सरकार द्वारा यह आदेश इस आधार पर पारित किया जाना चाहिए कि किसी सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करना जनहित में है। यह आदेश सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पारित किया जाता है।

(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायिक जांच पूरी तरह से बाहर रखी गई है। जबकि उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में मामले की जांच नहीं करेगा, वे हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि आदेश (ए) दुर्भावनापूर्ण है, या (बी) यह किसी सबूत पर आधारित नहीं है, या (सी) यह इस अर्थ में मनमाना है कि कोई भी उचित व्यक्ति दी गई सामग्री पर अपेक्षित राय नहीं बना सकता है; संक्षेप में यदि यह एक विकृत आदेश पाया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) सरकार (या समीक्षा समिति, जैसा भी प्रकरण हो) को इस प्रकरण में निर्णय लेने से पहले सेवा के संपूर्ण अभिलेख पर विचार करना होगा, कि निश्चित रूप से बाद के वर्षों के दौरान अभिलेख और प्रदर्शन को अधिक महत्व देना होगा। इस तरह से विचार किए जाने वाले अभिलेख में स्वाभाविक रूप से गोपनीय अभिलेख/चरित्र रोल में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रविष्टियाँ शामिल होंगी। यदि एक सरकारी कर्मचारी को प्रतिकूल टिप्पणियों के होते हुए भी उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो ऐसी टिप्पणियाँ अपना प्रभाव खो देती हैं, मुख्य रूप से तब, जब पदोन्नति योग्यता (चयन) के आधार पर हो न कि वरिष्ठता के आधार पर। (बल दिया गया है)

(v) कोई आदेश या अनिवार्य सेवानिवृत्ति न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर रद्द किए जाने योग्य नहीं है कि उसे पारित करते समय असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों पर भी विचार किया गया था। यह परिस्थिति अपने आप में हस्तक्षेप का आधार नहीं हो

सकती। हस्तक्षेप केवल उपरोक्त (iii) में उल्लिखित आधारों पर ही स्वीकार्य है। इस उद्देश्य पर पैरा 29 से 31 में चर्चा की गई है।"

8. इस प्रकरण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रेखांकित टिप्पणी जो कंडिका 32 की उपकंडिका (iv) में है ध्यान में रखने योग्य है।

9. **डी. रामास्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य**[2] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी ध्यान देना उचित है। इस प्रकरण में, निर्णय लेने के लिए सरकार का एक आदेश आया था, जिसमें एक अधिकारी को उसकी पदोन्नति और प्रतिष्ठित चयनित पद पर नियुक्ति के तुरंत बाद समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने 1953 में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में सार्वजनिक सेवा में प्रवेश किया था। उसे 1954 में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया, था। उसके पश्चात 1957 में उप वाणिज्य कर अधिकारी, उसके पश्चात 1962 में संयुक्त वाणिज्य कर अधिकारी, उसके पश्चात 1966 में वाणिज्य कर अधिकारी, बाद में 1972 में सहायक वाणिज्य कर आयुक्त और अंत में दिनांक 07.05.1975 को वाणिज्य कर उपायुक्त के पद पर नियुक्ति हुई। वाणिज्य कर उपायुक्त के पद पर पदोन्नति होने पर उन्हें उसी संवर्ग में बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य के पद पर पदस्थापित किया गया। दिनांक 20 सितंबर 1975 को उन्हें मूलभूत नियम 56 (घ) के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर दिया गया। उनकी सेवा पुस्तिका से पता चलता है कि उनका सेवा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। उन्होंने कई प्रशंसा, प्रशस्ति और प्रशंसा अर्जित की थी। फिर भी वर्ष 1969 के उनके सेवा रिकॉर्ड से उनकी सेवा में एक काला धब्बा दिखाई देता है। वाणिज्य कर उपायुक्त द्वारा रखी गई उनकी गोपनीय फाइल में यह उल्लेख किया गया था:

> "यह वाणिज्य कर अधिकारी बहुत ही बुद्धिमान और योग्य अधिकारी है, जिसने पूरे जिले को अपने नियंत्रण में पूर्ण अनुशासन में रखा है। दुर्भाग्य से, उसकी प्रतिष्ठा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसी शिकायतें थीं कि वह व्यापारियों को धमकाता था और अधिक पैसे लेता था। पूरे मामले की जांच सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की जा रही है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[2]. AIR 1982 SC 792

सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा जांच की गई। राजस्व मंडल द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए गए। अपीलकर्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। पूर्ण राजस्व मंडल ने अपीलकर्ता के स्पष्टीकरण का अध्ययन करने के बाद यह राय दी कि आरोप हटा दिए जाने चाहिए। सरकार ने पूर्ण बोर्ड की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और दिनांक 29.11.1974 के अपने आदेश के तहत आरोप हटा दिए। इसके अलावा, कुछ ही महीनों के भीतर,यानी 7 मई, 1975 को उन्हें वाणिज्यिक कर के डिप्टी कमिश्नर के पद पर पदोन्नत किया गया और बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें मूलभूत नियम 56 (घ) के अंतर्गत तुरंत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

जब राज्य की ओर से उस कार्यवाही पर आपत्ति की गई तो यह तर्क दिया गया कि सरकार अपीलकर्ता के पूरे इतिहास पर विचार करने की हकदार है, जिसमें वह हिस्सा भी शामिल है जो वाणिज्यिक कर उपायुक्त के रूप में उनकी पदोन्नति से पहले का है। तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से किए गए उपरोक्त निवेदन पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 4 में इस प्रकार टिप्पणी की:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "अपीलकर्ता की पदोन्नति कुछ ही महीने पहले हुई थी और उसके बाद उसमें अयोग्यता या अकुशलता का हल्का सा भी संकेत नहीं मिला, इसलिए अपीलकर्ता को सेवा से सेवानिवृत्त करने के सरकार के आदेश को स्थिर रखना असंभव है। तमिलनाडु राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सरकार अपीलकर्ता के पूरे इतिहास को ध्यान में रखने की हकदार है, जिसमें उसके पदोन्नति से पहले का हिस्सा भी शामिल है। हम यह नहीं कहते कि सरकार के पिछले इतिहास को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, एक बार जब उसे पदोन्नत कर दिया जाता है। कभी–कभी, पिछली घटनाएं वर्तमान आचरण का आकलन करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन जब वर्तमान आचरण में पदोन्नति की समझदारी पर कोई संदेह नहीं होता है, तो हम अतीत को अनावश्यक रूप से कुरेदने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं।"

उपरोक्त निर्णय का अनुपात इस प्रकरण के तथ्यों पर भी पूरी तरह लागू होता है।

प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद, दिनांक 08.06.1984 से पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ उसकी सेवा की शुरुआत से जो भी हो, नियुक्ति प्राधिकारी ने यह राय बनाई कि अधिकारी के पास निरंतर उपयोगिता और दक्षता है और उसे दक्षता अवरोध पार करने की अनुमति दी जा सकती है। हमारे पास यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि सरकार ने दिनांक 08.06.1984 को याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध प्रतिकूल सामग्री को ध्यान में रखे बिना दक्षता अवरोध पार करने की अनुमति देने का आदेश पारित किया। वास्तव में, सरकार का प्रकरण ऐसा नहीं था। यदि यह तथ्यात्मक स्थिति है, तो यह मानते हुए भी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 08.06.1984 से पहले प्रतिकूल सामग्री थी, याचिकाकर्ता को दक्षता अवरोध पार करने की अनुमति देने वाले आदेश के पारित होने के साथ, वे सभी प्रतिकूल सामग्री "अपना प्रभाव खो देती हैं", अगर हम बैकुंठ नाथ दास के मामले में निर्णय के पैरा 32 के उप–पैरा (iv) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अभिव्यक्ति को आधार ले सकते हैं। इसके अलावा, ऐसा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं है जिससे पता चले कि दिनांक 08.06.1984 और दिनांक 08.10.1984 के बीच के अंतराल के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल तथ्य अस्तित्व में आया हो, जिसके आधार पर नियम के नियम 42 के तहत उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. हम याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में भी बल पाते हैं कि सरकार को आक्षेपित आदेश की तारीख से ठीक पहले के केवल 5 वर्षों के ए.सी.आर. को ध्यान में रखना चाहिए था, और यदि उन वर्षों के ए.सी.आर. को ध्यान में रखा जाता, तो यह देखा जा सकता था कि याचिकाकर्ता ने लोक सेवा के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में अच्छे ग्रेड अर्जित किए हैं। हमारी सुविचारित मत में, न्यायाधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता के अनुकूल ए.सी.आर. को इस आधार पर अनदेखा करना/छोड़ना उचित नहीं है कि अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि छानबीन समिति के समक्ष कोई अभिलेख रखा गया था जिससे पता चले कि रिपोर्टिंग प्राधिकारी और समीक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा की गई अच्छी टिप्पणियों को स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। यह मानते हुए भी कि दिनांक 08.10.1984 तक, स्वीकारकर्ता प्राधिकारी ने रिपोर्टिंग अधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया, यह तथ्य

अपने आप में, बिना किसी अतिरिक्त बात के, याचिकाकर्ता अधिकारी के रिपोर्टिंग प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी द्वारा किए गए सुविचारित मूल्यांकन को कम नहीं करेगा और न ही यह कहा जा सकता है कि उनकी राय छानबीन समिति द्वारा यह निर्णय लेने का विचार सुसंगत नहीं है कि याचिकाकर्ता अधिकारी को नियमों के नियम 42 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए।

11. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधिकरण के आदेश के पैरा 17 में न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता के कुछ वर्षों के ए.सी.आर. अभिलेख में दर्शाई गई बातों का हवाला दिया है। हम नहीं जानते कि वे टिप्पणियाँ उचित हैं या नहीं; क्या उन्हें याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था आदि, लेकिन, तथ्य यह है कि पिछले वर्षों में उन सभी प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद, सरकार ने स्वयं, अपने विवेक और सुविचारित मत में, याचिकाकर्ता को दिनांक 08.06.1984 को दक्षता अवरोध पार करने की अनुमति देना उचित समझा और चार महीने के छोटे समय के भीतर, सरकार के पास इस बात का कोई उचित कारण नहीं था कि याचिकाकर्ता ने लोक सेवा में बने रहने के लिए अपनी उपयोगिता और दक्षता खो दी है और सेवा में उसकी निरंतरता लोक हित में नहीं होगी। इसलिए, हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर, याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से नियमों के नियम 42 का सहारा ले कर सेवानिवृत्त करने की सरकार की कार्यवाही मनमानी, अयुक्तियुक्त और अनुच्छेद 14 की मान्यताओं का उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. परिणामस्वरूप और उपरोक्त कारणों से, हम रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 08.10.1984 के आक्षेपित आदेश और दिनांक 01.09.1998 के आदेश को रद्द करते हैं। याचिकाकर्ता सरकार के दिनांक 08.10.1984 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने से मिलने वाले सभी लाभों, आर्थिक और अन्य लाभ पाने का हकदार है।

13. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, पक्षकारों को अपना–अपना व्यय वहन करना होगा।

सही/–
मुख्य न्यायमूर्ति

सही/–
श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By : Kamlesh Kumar Sahu

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur